## प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :— जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड सल्ट में प्रधानमंत्री गाम सड़क योजना के अन्तर्गत मनाल धुरा से नाननकोटा मोटर मार्ग का नव निर्माण।

# वन अधिकार अधिनियम 2006 के अनापत्ति प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत का नाम नाननकोटा तहसील सल्ट जिला अल्मोड़ा

# अनापत्ति प्रमाण-पत्र

जिला अल्मोड़ा उत्तराखण्ड में मनाल धुरा से नाननकोटा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.700 है0 वन भूमि निर्माण खण्ड लो०नि०वि० सल्ट/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने अवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत नाननकोटा दिगांक .08] ब्या कि सम्मन्न ग्राम समा/ पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापित प्रमाण—पत्र निर्गत के हेतु विस्तृत चर्चा की गई यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि का कार्य नहीं है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों है। स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भिम में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मित से निर्माण किया गया है/प्रस्ताव पारित किया गया कि जा निर्माण किया गया कि जा निर्माण कि जा परियोजना के निर्माण किया जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान ग्राम पंचायत नानणकोटा वि०ख० सल्ट (अल्मांडा)

# प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम :— जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड सल्ट में प्रधानमंत्री गाम सड़क योजना क अन्तर्गत मनाल धुरा से नाननकोटा मोटर मार्ग का नव निर्माण।

दिनांक ..<u>०८|०५| 15</u> को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति ग्राम पंचायत...<u>जीनठाठ</u>, 21

2		1.00
क्र0सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के	हस्ताक्षर
	नाम	THE TO
1	<u> स्वास्तर</u>	and h
2-	शमान्द	Stant
6		aming
3.	-moblatos	and/mis
4.	allines	dining
5-	Girms	(21 2m)
6-	G12mly	Reru
	नीमा हैवी	
7		लीमा देवी
8	लील दिली	अ नि लीलादेवी
4.4	/ fear	
9	पार राम	अ. नि. पानू राम
10	Jude Caned	a annum
11	रवगानी देवी	
12	3211491	आन खनानी वी
13	200	M7. Z.
14	रेवतादेवी रेवती हैवी	अनि इनिदर्भ
11-	212-12-12 50000000	
11	न्यम्पादवा न्याय ।	Mai : 43181
16	रम्लीद्वी गानी ने	
17	o encar	0.10
and Settings\abc\Desktop\Chal	kargaon Ghughuri FORM 30 Enrest ir nd Lakhrkot-burushpani.doc	आमे मही द्वा
		- SIRAL EAT
		प्रधान 🔪
		ग्राम पंचायत नानणकोटा

34			
्राम्स-	नाम	sadiolo	23.
19	्र पाला बिर		क्रिपान मेट
20	ेगगा देवी		
21	अपितर .		मिक गायंद
22	अगादेवी	MIN THE - S. MIN IN THE	राजाहरू
23	21 शिरिवी		भागादिली
24	Bostical		राष्ट्री देवी
25	व्यक्त मिद्रिया		यासी देनी
26	इन कार्या		प्रमिश्नी
27	सक्ला दर्जा		690,691
	The same of the sa	7 AV 184 S 16 1	
28	उलाभी देवी	वल र	रीटेबी
29	व्याका अरासर	6/00/10	
30	जागाराम	-12	. १ चर्
3)	इन्द्रशम	and a	· L
	unal	583	2210
33	वालमासिर	once	
3361101	(मनीरराम	in to the cina	(2)
34	वा अव्यादवी	क क	महा।देवी
35 HIV	वारुकीर्व	HIZ PUD	
36	इर्रायह	they will	O
		Note of the	त्ययुर्वर्भ वा
38	वस्ति।		501005
39	डास्त्रकारेवा	0/00/18/10	
	21230016191	A TRAINING MI	175
	S. Carrier	Harris of	मुली हैंबी
			1
	170000		
R THE PROPERTY.			
A LES TONIS			4

## प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड सल्ट मं प्रधानमंत्री गाम सड़क योजना अन्तर्गत मनाल धुरा से नाननकोटा मोटर मार्ग का नव निर्माण।



# कार्यालय उपजिलाधिकारी सल्ट

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र

# उपखण्ड स्तरीय समिति

उपखण्ड स्यान्दे परिक्षेत्र के अन्तर्गत वनभूमि 2.700 हैं0 वन भूमि का, निर्माण खण्ड लो०नि०वि० सन (अल्मोड़ा) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उप खण्ड स्तरीय समिति तहसील स्याल्दे को दिनांक 8/4/ सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण '-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री . २२०. एसं ने विथाल उप जिलाधिकारी ए अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। बैठक में माननीय सदस्य की उपस्थिति निम्नानुसार है :-

1. श्री रुन रुस निवंशाल

उपजिलाधिकारी सल्टे।

2. श्री वीकिका सिंह

उप प्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत।

3. श्री जिड्डा भागा र सहामक सामाज कल्याव्याधिकारी सल्ट।

. 4. श्रीमारी दीपा देवी

बीं०टी०सीं० क्षेत्र दापाटे इनलू)

डपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया है कि जनपद अल्मोड़ा पी०एम०जी०एस०वाई० योजना के अन्तर्गत मनाल धुरा से नाननकोटा मोटर मोटर मार्ग परियोजना हेतु 2.700 <sup>८०००</sup> है0" वर्न" मूर्गि प्रयोविती एजेन्सी "कि"पक्ष" में "हरतान्तरित" किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष



प्रतिलिप जिलाधिकारी महोदय अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



#### प्रारुप-30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना / अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

# FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector - Almora

No---

Dated----

## TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter 1.1-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 2.70 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Rural Development Department Uttarakhand / Executive Engineer PMGSY Division, P.W.D. Salt (Almora) (name of user agency) for Construction of Manaldhura to Nanankosa willages in Bhikiyasain tehsil.

#### It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the File has been carried out for the entire 2.70 hectares of forest area proposed for diversion. A copy records of all consolations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) surprise Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexument of annexument of the File Sabha(s) surprise annexument of the File Sabha(s) surp
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as require under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given the consent to it;
- (c) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

15-04-15 Signature

C:\Documents and Settings\wipro\Desktop\MANALDHURA NANAKOTI\FORM 30 Forest land Lakhrkot-burushpani.doc

(Full name and official seal of the District Collect

प्रारुप-30.1

# OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT - ALMORA (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA. 2006 was held the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman, I.A.S., deputy commissioner, Almora on dated 15-04-15 3.00 PM at ........ in which application claiming rights in Jourashi range / area measuring 2.70 hect for Construction of Manaldhura to Nanankoti Motor Road (3.00 Km) forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Bhikiyasain sub division level committee of the sub division sub divis were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to h been made & hence District level committees recommend the above case for diversion of land for the purpose.

Place;....

Dated:.....

Deputy Commissioner-cum-Chairma

**District Level Committee** 

निर्माण खण्ड, लोवनिविक

मिर्वाण खण्ड, लोठ निर बल्ड (अ**ल्योडा** 

जिला समाज कत्याण अधिकारी